JD (IEC)/DD2PA (Coord)

(20)

ज्ञापांक 3501 /एक्स0एल0
XL-(विविध)-76-2012
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
पटना दिनांक 16/9/2013

बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति
3897
25/10/13
शेखपुरा, पटना-14

परियोजना निदेशक,
बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति,
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान भवन,
शेखपुरा, पटना।

J.D.(IEC)

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1597 दिनांक-13.08.2013 सदनुसार गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-8010 दिनांक-03.09.2013

विषय:- राज्य के एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों का कानूनी सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में इस कार्यालय के ज्ञाप सं0-2056 दिनांक-10.06.2013 द्वारा कृत कार्रवाई से संबंधित पत्र की छाया प्रति संलग्न किया जाता है।

अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु सभी सम्बद्ध पदाधिकारियों को वांछित निर्देश दिया गया है।

अनु0-यथोपरि।

12.09.13

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (निरीक्षण),
बिहार पटना।

प्रतिलिपि:-

उप सचिव गृह (विशेष) विभाग को उनके प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में वांछित प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

स्वास्थ्य विभाग
बिहार सरकार

30 MAY 2013

पत्रांक- 876 .

दिनांक 27/05/ 2013

प्रेषक,

प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

सेवा में,

प्रधान सचिव,
गृह विभाग, बिहार सरकार

विषय- राज्य के एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ- माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No - 5440/2011, Sanjeet Singh vs GOI & Others.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये राज्य के एच0 आई0 वी0/एड्स से संक्रमित व्यक्तियों को ससमय कानूनी सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना आत्यावश्यक है, ताकि उनकी पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सके और वे समाज में सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके।

2. ज्ञात हो कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक याचिका CWJC No.- 5440/2011, Sanjeet Singh vs GOI & Others दायर किया गया है। इस याचिका के अनुसार, एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों को परिवार व समाज के द्वारा घर से निकालने और पैतृक संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिये एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्ति को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। परिवार और समाज के द्वारा प्रताड़ना से राहत पाने और अपेक्षित न्याय की आस में जब एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्ति नजदीकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिये जाते हैं, तो संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया जाता है।

3. उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि जब एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान हेतु थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिये आते हैं, तब उन्हें संबंधित थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के द्वारा अपेक्षित कानूनी सुरक्षा एवं सहायता प्रदान किया जाय। इसके लिये आपके स्तर से राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर आवश्यक निदेश निर्गत किए जाने की आवश्यकता है-

3.1. थाना में अपनी समस्याओं को लेकर आनेवाले सभी एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हुए उनका प्राथमिकी दर्ज किया जाय और दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ससमय कानूनी कारवाई किया जाय।

3.2. एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के निपटान करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाय कि पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों के स्तर से उस व्यक्ति की एच0 आई0 वी0 अवस्था से संबंधित गोपनीयता भंग नहीं हो और उन्हें किसी प्रकार से उपेक्षित नहीं किया जाय।

3.3. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2007 में प्रकाशित Guideline on HIV Testing और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एच0 आई0 वी0 /एड्स विषय से संबंधित कार्यस्थल नीति के अनुसार एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों को एच0 आई0 वी0 अवस्था से

संबंधित गोपनीयता का अधिकार है। उनकी सहमति के बिना एच0 आई0 वी0 अवस्था के बारे में किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के प्रतिनिधि को जानकारी नहीं दिया जाए और आवश्यक गोपनीयता बरती जाए।

3.4. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के पत्रांक– T-11020/69/2006-NAC0 (ART), दिनांक–05.08.10 अनुसार, प्राथमिकी दर्ज करने के दौरान उनकी पहचान के रूप में एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्ति के स्थान पर **प्रतिरोधक क्षमता की कमी से प्रभावित व्यक्ति** (Immunodeficiency Person) जैसे शब्द का उपयोग किया जाए।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त विषय के संबंध में अपने स्तर से राज्य के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को आवश्यक निदेश निर्गत करने की कृपा करें। साथ ही राज्य के विभिन्न थाना में एच0 आई0 वी0 संक्रमित व्यक्तियों के द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर हुई कार्रवाई से भी अधोहस्ताक्षरी एवं परियोजना निदेशक, बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति को सूचित करने हेतु भी निदेश देने की कृपा करें।

अनुलग्नक–

1. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के पत्रांक– T-11020/69/2006-NAC0 (ART), दिनांक–05.08.10 की छायाप्रति।
2. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2007 में प्रकाशित Guideline on HIV Testing के अंश की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

प्रधान सचिव

पटना, दिनांक– 27.05.13

ज्ञापांक– 876

प्रतिलिपि–

पुलिस महानिदेशक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

पटना, दिनांक– 27.5.13

ज्ञापांक– 876

प्रतिलिपि–

मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञाप संख्या : 2056/XL ~~XL-विविध-76-2012~~

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

दिनांक :- 10-6-2013

प्रतिलिपि :- सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। उपर्युक्त अंकित तथ्यों के आलोक में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें। कृत कार्रवाई से पुलिस मुख्यालय को अवगत कराया जाय। कृपया अत्यावश्यक समझें।

(2) प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ।

पुलिस महानिदेशक के सहायक (निरीक्षण)
बिहार, पटना।